ANNEXURE NO. 12

157

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
उप क्षेत्रीय कार्यालय,भविष्य निधि भवन, विज्ञान नगर, कोटा–324005
फोन नं.0744–2425392,2421145,2422800 फैक्स0744–2421018 Email: sro.kota@epfindia.gov.in

क्रमांकः भ0नि0/आरजे/05402/आवृति/ 10288

पंजीकृत/पावती

दिनांक MAR 2013

मैसर्स,
माँ भारती सी. सै. स्कूल,
2-B-15, तलवंडी
कोटा 324005

विषय : संस्थान का नाम परिवर्तन के संबंध में आरजे/05402

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 04.12.2012 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है संस्थान मैसर्स माँ भारती विद्या भवन, 2-B-15, तलवंडी कोटा 324005 जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.1989 से आवृत संस्थान है एवं जिसकी कूट संख्या आरजे/05402 है, का नाम कार्यालय रिकोर्ड मे बदलकर संस्थान **मैसर्स माँ भारती सी. सै. स्कूल, 2-B-15, तलवंडी कोटा** 324005 आरजे/05402 कर दिया है।

आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि संस्था का नाम परिवर्तन करने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की पात्रता पर कोई प्रभाव नही पड़ता है तथा पूर्व संस्थान की देनदारियों की जिम्मेवारी भी आपकी ही होगी अतः आप पूर्व में आवंटित कूट संख्या आरजे/05402 में ही नियमित रूप से अनुपालना करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सी पी टाक)
सहायक भविष्य निधि आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. लेखा शाखा – II
2. डेमेजेज शाखा
3. अनुपालना शाखा
4. ईडीपी अनुभाग
5. श्री एच एन सारस्वत, प्र. अ. कोटा

सहायक भविष्य निधि आयुक्त

X 156

कार्यालय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302 005

संख्या आर.जे./ [illegible] /अनु० तृतीय/ आवृति/ 10316 दिनांक 11/1/..

सेवामें,
श्री/मैसर्स मा- भारती विद्या-भवन,
B-15, तलवण्डी
कोटा (राज.)
पिन

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाएँ
मैसर्स मा. भारती विद्या-भवन-कोटा
पर लागू होना।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक .... को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक .... को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :—

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मैसर्स मां भारती विद्या भवन, कोटा .... जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल (शिक्षा)-विद्यालय कार्य में लगी हुई हैं।

(ख) उक्त स्थापना/फैक्टरी में दिनांक 1-7-84 को 20 (बीस) कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 (1) (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत 1-7-84 से .... को 5,3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना, उसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर, चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं, 1-7-84 तारीख से स्थायी/अस्थायी रूप से लागू हैं, इसके अतिरिक्त आपके पूर्व रिकार्डों की जांच अभी की जाएगी।

~~अधिनियम की धारा 1 (4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या .... दिनांक .... के सन्दर्भ में आपकी स्थापना अर्थात .... को कोड संख्या .... आवंटित किया जा रहा है।~~

157

(vii) फार्म सं० 5 और 10 — यह उन कर्मचारियों से सम्बन्धित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, परिवार पेंशन निधि स्कीम, 1971 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से संबंधित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध है और इन्हे निशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है नमूना फार्म संलग्न हैं।

8. परिवार पेंशन निधि अंशदान के संबंध में इन्हे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और संबंधित फार्मों में अलग से दिखाकर केवल इस माह से लेखा सं० 10 में जमा कराया जाना है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से संबंधित अब तक की बकाया राशि एक माह में या इससे पूर्व जमा कराना है।

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखें जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा कराई जानी और चालान की तीन प्रतियां इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर देना चाहिए और (हस्तांतरित) की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अंतरण के संबंध में दिये गये निदेशों से संबंधित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजि भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि से बाद रोकड़ अंतरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसानी अदा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुलग्नक :

:count will be deposited the conti-
).5% which will be the aggregate
sis wages, dearness allowance
cash value of food concession
ng allowance if any payable to
'er.

ıccount will be deposited the
tion charges @ 0.1% which will
gregate of the basic wages, dear-
ance (including the case value of
essi and retaining allowance,
ayable to the employees by an
. e. f. 1-10-87 the rate is

nd 22 are to be made by separate
Bank, should be forwarded to
low).

turns :—

to be submitted to this office
spect of those employees who
ed or entitled to become members
ate the factory/establishment is
nder the Scheme.

to be obtained in duplicate from
nber submission to this office.

be submitted to this office in dup-
y sequent change in ownership
itified to this office through

be maintained at the factory/esta-
t in respect of every employee who
ber in which the contribution paid
F. are to be posted every month.

the annual return of contribution
be submitted to this office with in
of the close of the financial year.
th form/3-A (Last contribution to
n for Feb. payable in March each

e monthly return of contributions
be submitted to this office by 25th
following month. Triplicate copies
hallans in support of the deposits
the State Bank of India should be
l with this.